तीनों सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि सशस्त्र सेनाओं में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अफसर कैडटों की भर्ती बढ़ाने के विचार से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) सैनिक स्कूलों में प्रवेश के मामले में योग्यता सूची में उनके स्थान का ध्यान रखे बिना, प्रवेश परीक्षा में पास हो जाने और शारीरिक दृष्टि से योग्य पाए जाने पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 1/2 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ii) मिलिटरी स्कूलों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सभी लड़कों को इन स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाता है, जो इन स्कूलों की प्रवेश परीक्षा में पास हो जाएं। इसमें योग्यता सूची में उनके स्थान का ध्यान नहीं रखा जाता।

3. सैनिकों की भर्ती के मामले में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि भारतीय थलसेना में भर्ती के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :

(i) सभी भर्ती अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि अन्य बातों के समान होने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

(ii) भर्ती अधिकारियों को अनुदेश दिये गए हैं कि भर्ती-एवं प्रचार दोनों को केवल शहरों और नगरों तक सीमित न रखा जाए अपितु दूर-दराज के ऐसे इलाकों का भी दौरा किया जाए जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हुए हों।

(iii) थल सैना में वर्गों के लोगों को भर्ती बढ़ाने के लिए समय समय पर रेजिमेंटल केन्द्रों से भर्ती दल भी भेजे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० का विद्रोह

558. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान पी०ए०सी० विद्रोह के संबंध में पुलिस नेताओं पर चल रहे मुकदमें वापस लेने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक आदेश देने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : चूंकि यह मामला मुख्यत: राज्य सरकार का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार को कोई आदेश जारी करना उपयुक्त नहीं समझती है।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई पेन्शन

559. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जा रही पेन्शन में एक रूपता लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन मंजूर करने के मामले में समान सिद्धांत अपनाए जाते हैं।

Steamer service between Bombay anb Mandvi-Kutch

560. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from any private company or shipping corporation of India for starting steamer service between Bombay and Mandvi-Kutch; and

(b) if so, when the services likely to start?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTERY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM):
(a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Schemes from Madhya Pradesh pending with rural electrification corporation

561. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether several schemes forwarded from Madhya Pradesh to the Rural Electrification Corporation are still pending with Government; and

(b) if so, how many such schemes have been sanctioned or are proposed to be sanctioned for the current financial year in the District of Rajgrarh, Guna and Videsha (M.P.)?

THE MINISTERY OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) 23 Rural electrification schemes of Madhya Pradesh State Electricity Board are pending with the Rural Electrification Corporation as on 31st October, 1977.

(b) The Corporation has, during the Current financial year, already sanctioned one scheme each for electrification in Guna and Rajgarh districts.

No other scheme in any of these District is pending with the Corporation as on 31st October, 1977.

Report on Sarkaria Commission

562. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of HOME AFFAIR be pleased to state:

(a) Whether Justice Sarkaria Commission (Tamil Nadu) has submitted its report to Government;

(b) if so, whether Government have scruutinised the findings of the Commission; and

(c) the acition Government propose to take on the recommendations of the said Commission?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) ; (a) to (c). The Sarkaria Commision of Inquiry submitted its first Report on 19-1-77 which relates to 9 items covered by seven allegations into which inquiry had been completed. A copy of the Report, along with a Memorandum of the action taken thereon, was laid on the Table of the House on the 1st April, 1977. No further report has been submitted by the Commission thereafter.

सिक्कम में उद्योगों की स्थापना के के लिए सर्वेक्षण

563. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कम के आर्थिक विकास के लिए वहां स्थापित किये जा सकने वाले बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थापना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) वहां कौन से उद्योग निकट भविष्य में स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आशा मयती) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन उद्योग मंत्रालय ने सिक्किम में लघु उद्योगो का विकास करने की सम्भाव्यता का निर्धारण करने हेतु अक्तूबर, 1976 में एक सर्वेक्षण किया था।